SHRI M.V. RAJASEKHARAN: Mr. Chairman, Sir, drought is now prevalent throughout the country. Though the hon. Minister has given some information in the reply, he has not specified what steps are being taken to contain the drought. Secondly, the State of Karnataka is reeling under severe drought. The State Government of Karnataka has, time and again, requested the Central Government to provide assistance, but, uptill now, very little assistance has been provided. Therefore, I would like to know, through you, from the hon. Minister when he is going to act on a war-footing basis to deal with this situation. When is he going to respond to the request made by the State Government of Karnataka? What steps have been initiated so far?

SHRI AJIT SINGH: Sir, this year, from the National Contingency Fund, almost Rs. 190 crores have been sanctioned to the State Government of Karnataka to deal with the drought situation. Besides that, Calamity Relief Fund is provided to each State. Karnataka is one of the States which has been provided most of the money. We are also providing foodgrains to them, and it will continue till the end of June.

श्री सभापति: आप परसों नहीं थे वरना यह क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती।

Grants and aids to fraudulent educational institutions

*63. SHRI K:B. KRISHNA MURTHY:†
SHRI SANTOSH BAGRODIA:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there were many fraudulent universities, colleges and schools in Southern India that were getting grants and aid from Government;

(b) if so, number of such schools, colleges and universities receiving aid from Government have closed down during the past three years;

(c) whether some schools and colleges are still receiving aid but are not operational; and

(d) if so, what action Government propose to take to keep a check on such fraudulent schools and colleges?

---

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri K.B. Krishna Murthy.

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DR. MURLI MANOHAR JOSHI): (a) to (d) A statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

(a) to (d) The University Grants Commission (UGC) releases grants only to those universities and colleges which are recognized in terms of Sections 2(f) and (12B) of the Universities Grants Commission Act, 1956.

The UGC had identified 18 Fake Universities/Institutions functioning in contravention of UGC Act in different parts of the country. Out the these, five institutions have since been closed down. The Government of India/UGC has not provided any grant/aid to any fake university or college.

As soon as the UGC gets to know about the existence of a fake university/institution, the promoters are advised immediately to stop their activities. Simultaneously, the State Government in which the Institution is located, is apprised of the matter with the request to take necessary action against the Institution as per the law.

About fraudulent schools, no State Government has provided such information to the Central Government.

SHRI K.B. KRISHNA MURTHY: Mr. Chairman, Sir, I am glad that the hon. Minister has admitted the existence of fake universities and institutions. It has also been stated in the reply that out of 18 fake institutions, 5 institutions have been closed down. Part (a) of my question is whether these five institutions have closed down voluntarily, or, they have been closed down subsequent to a Government order. Part (b) of my question is: what action has been taken to close down the rest of the 13 fake institutions? Are they still existing and imparting sub-standard education to students? Does the UGC have any statutory control over such institutions?

डा० मुरली मनोहर जोशी: सभापति जी, ये जो पांच बंद हुए हैं इन पर कानूनी कार्रवाई करनी पड़ी हैं। सरकार ने खोजबीन करके इन्हें भी बंद कराया है। इसके अलावा जो बाकी विश्वविद्यालय हैं उनमें से अधिकांश पर कानूनी कार्रवाई चल रही है। कोर्ट में केसेज चल रहे हैं और उनके फैसलों का इंतजार है। उनमें से कुछ बंद हो गए हैं। जहां तक यह सवाल है कि यू०जी०सी० द्वारा इस पर कदम

उठाया जा रहा है या नहीं तो मैं यह बताना चाहता हूं कि यू॰जी॰सी॰ में जो कानूनी व्यवस्था थी वह बहुत ढीली थी। केवल एक हजार रुपए जुर्माने का प्रबंध था। हम यू॰जी॰सी॰ के उस कानून में संशोधन ला रहे हैं। हम इस व्यवस्था को और अधिक कड़ा करना चाहते हैं जिससे इस प्रकार से कोई भी फर्जी विश्वविद्यालय न बन सके।

SHRI K.B. KRISHNA MURTHY: Mr. Chairman, Sir, there have been frequent reports in media that many fraudulent educational institutions are receiving aid and grants from the Government through the UGC and other schemes of the Ministry of Human Resource Development, but many *bona fide* institutions are being denied these grants. Does the Government have any foolproof mechanism to verify the *bona fides* of these institutions? Does the Government have manpower to undertake on-site inspection and to interact with both the students and faculty? Part (b) of my question is: is it true that many such institutions employ faculty members who do not meet the educational and research standards laid down by the UGC? is the Government aware that faculty members in many educational institutions are unqualified relatives and associates of the management? Since the salaries and honorariums are paid in cash, there is much scope or manipulation and under-payment. What action is the Government contemplating against such educational institutions?

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: श्रीमन्, प्रश्न के उत्तर में, जो सभा पटल पर रखा गया है, हमने यह कहा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग किसी भी फर्जी संस्था को अनुदान नहीं देता है। इसलिए यह सवाल ही नहीं उठता कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की तरफ से कोई पैसा इन संस्थाओं को दिया जा रहा है। अगर वह संस्था मान्यता प्राप्त है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों का पालन करती है तभी कोई ग्रांट मिल सकती है, अन्यथा नहीं मिल सकती, क्योंकि वे फर्जी हैं और बंद किए जा रहे हैं। इसलिए वे क्या कर रहे थे, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार रख रहे थे या नहीं रख रहे थे, यह सवाल तो उठता ही नहीं क्योंकि वे फर्जी थे। वे क्या कर रहे हैं, अपने रिश्तेदारों को रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, से सब सवाल हमारी दृष्टि से गौण हैं, क्योंकि वे फर्जी थे और उन्हें तो बंद होना ही है।

श्री सभापति: आप यह एक बता दीजिए कि जिनको आप फर्जी मानते हैं, वे बंद हो गए हैं या चल रहे हैं।

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: जिन्होंने कोर्ट से स्टे ले रखा है उनको छोड़ कर बाकी सब बंद हो गए हैं।

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Mr. Chairman, Sir, through, you, I would like to know from the hon. Minister what is the process used to identify fake universities? How do you come to know about it? Because, this process itself is defective. I know, Sir, in fact, many people are offering, even in the newspaper advertisements, that they will get a US degree or a foreign degree without any education. They ask you to just sit for the exam, and they will give you degrees. So, my question is: what is your procedure to find out about these fake universities?

डा० मुरली मनोहर जोशी: महोदय, दो प्रश्न इसमें उठते हैं, एक तो भारतीय लोग फर्जी विश्वविद्यालय चला रहे हैं। उसका तो मैंने आपको उदाहरण दिया कि 18 पकड़ में आए थे और उनकी यह परिस्थिति है। इसके अलावा विदेशी लोग अपनी डिग्री के लिए यहां आते हैं और वे लोगों को लुभाते हैं तथा लोगों के सामने प्रस्ताव रखते हैं। उसमें भी जब हमें यह शिकायत मिली कि इन विश्वविद्यालयों की जांच होनी चाहिए तो हमने अपने राजदूतों की सहायता से और अपने विश्वविद्यालयों की जो हमारी आल इंडिया संस्था है, उसकी सहायता से पता लगाने की कोशिश की कि इनका क्या स्टेटस है। उसमें भी हमें यह पता लगा कि कुछ ऐसे विश्वविद्यालय थे जिनका कि अपने ही देश में पंजीकरण नहीं था। ऐसे विश्वविद्यालयों को भी हम अपने यहां बंद कराते हैं। हर साल हम इसके बारे में छात्रों को, विश्वविद्यालयों को अखबारों के माध्यम से, सर्कुलर्ज़ के माध्यम से आगाह करते हैं कि अगर किसी विश्वविद्यालय का प्रस्ताव उनके पास आता है और वे वहां जाना चाहते हैं तो वे भी पहले इस बात कर परीक्षण कर लें कि जहां वे जा रहे हैं, उसकी वस्तुस्थिति क्या है। अगर उन्हें शंका है तो वे हमें बता सकते हैं, तब फिर हम उनको यह बता सकते हैं कि वे विश्वविद्यालय जायज़ हैं या नाजायज़ हैं। यूजीसी स्वत: इस बात के लिए प्रयत्नशील रहती है कि जो विश्वविद्यालय यहां आना चाहते हैं उनका क्या स्टेटस है, उनकी क्या स्थिति है। ऐसे कुछ विश्वविद्यालय हमें मिले थे कि जिनका अपने ही देश में पंजीकरण नहीं था। उनकी डिग्री हमने रद्द कर दी है। वे अब यहां काम नहीं कर सकते। लेकिन आज की इस दुनिया में बहुत से देश हमारे यहां शिक्षा संस्थाएं लाने के लिए आतुर हैं और शिक्षा संस्थाओं को परस्पर मिल-जुल कर काम करने की सुविधा है तो थोड़ा ज्यादा परीक्षण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग करता है और इसके लिए एक प्रकोष्ठ है। लेकिन उसके बाद भी यह संभावना बराबर रहती है कि कोई विश्वविद्यालय जो अपने ही देश में पंजीकृत न हो और जिसको मान्यता प्राप्त नहीं हो या वहां वह फर्जी हो और वह यहां आने की कोशिश करता हो तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि ऐसे विश्वविद्यालयों के यहां आने पर रोक लगा दी जाए। अगर पता लग जाए तो उनके ऊपर हम कार्यवाही भी करते हैं। अगर हमारे देश में वे चल रहे हैं तो हम अपने कानून के अनुसार कार्यवाही करेंगे अन्यथा हमारा दूतावास उनको बता देता है कि आप यहां नहीं आ सकते।

श्री भारतेन्दु प्रकाश सिंहल: श्रीमन्, विद्यार्थियों के साथ जो फ्रॉड हो रहा है उसका डिटेक्शन क्या स्टेट गवर्नमेंट के जिम्मे है या आप करते हैं? यदि आप करते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट को सूचना देने के

उपरांत क्या आईपीसी के अंतर्गत क्राइम्ज रजिस्टर हो रहे हैं? यदि नहीं हो रहे हैं तो क्यों नहीं हो रहे हैं? यह प्रभावी होना चाहिए क्योंकि यह बहुत व्यापक होता जा रहा है।

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: महोदय, अगर स्कूल फर्जी है तो उसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार पर होती है वे हमें बताएं कि ये स्कूल फर्जी हैं और उन्होंने यह काम किया है तथा इस तरह से हमने उन्हें रोका है। अब रोकने में कोई कठिनाई है तो हम मदद भी कर सकते हैं। लेकिन जहां तक विश्वविद्यालयों का सवाल है उसमें जो राज्य के परिक्षेत्र में विश्वविद्यालय आते हैं और कोई बताता है कि हमें इस बारे में संदेह है कि यह विदेशी विश्वविद्यालय यहां गड़बड़ कर रहा है तो हम उस राज्य की भी मदद करते हैं। लेकिन भारत में जो फर्जी विश्वविद्यालय हमारी पकड़ में आते हैं, उन पर हम उत्तरोत्तर कार्यवाही भी करते हैं और जैसा मैंने कहा है कि पहले प्रावधान बहुत ही ढीले थे? बहुत कमजोर थे, उनको हम बहुत सख्त करना चाहते हैं। हम तो यहां तक चाहते हैं कि ऐसी संस्थाओं को कड़ी सजा हो। एक साल से दस साल की सजा हो, एक लाख से पचास लाख तक के जुर्माने हों और उस संस्था को चलाने वाले व्यक्ति को उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाए। उन की प्रॉपर्टीज अटैच कर ली जाए, एसेट्स फ्रीज कर लिए जांए। यह सब काम हम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक में संशोधन लाकर कर आगे कर रहे हैं।

DR. KARAN SINGH: Mr. Chairman, it is obviously necessary to take very stringent action against fraudulent institutions. One of the best ways to prevent them is to bring forward a Bill to set up properly regulated private universities. Would the hon. Minister be pleased to tell us why the Private Universities Bill has so far been delayed? When will he bring it before the House?

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: फिलहाल हमारा जो प्रावधान इस विषय में है, वह deemed to be universities की संख्या बढ़ाने का है। हमने एक कमेटी वेंकटसुब्रमन्यम जी की अध्यक्षता में बनाई है जो इस तरह की deemed to be universities के नॉर्म्स को स्पष्ट करेगी। सभापति जी, हम *de novo* universities भी स्थापित करने का विचार कर रहे हैं, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बनाने का बिल कुछ राज्यों ने अपने-अपने राज्यों में पास किया है और इसलिए वह अपने राज्यों में उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। केन्द्र की ओर से जो बिल आया था, स्टेंडिंग कमेटी की जो सिफारिशें आई थीं, उनके आलोक में विचार किया गया है। सभापति जी, वह बिल लोगों को स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उसमें जो शर्तें थीं, उनके पालन करने में लोगों ने असुविधाएं व्यक्त की हैं और सरकार उस पर विचार करती रहती है कि हम उसे कैसे करें। लेकिन मैं आप को बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों में हमारे देश में 80 से अधिक मान्य विश्वविद्यालय बन गए हैं जो deemed to be universities हैं, यूनिवर्सिटीज की तरह से ही काम करती हैं और करीब 60 से 64 की एप्लीकेशंस हमारे पास पड़ी हुई हैं। जब इस कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी तो उस के बाद हम और गहराई से विचार करेंगे

कि हम क्या करें। दूसरी बात यह है कि हम कॉमर्सियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के बारे में चिंतित हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की स्थिति में और जिस प्रकार से उच्च शिक्षा में जो फीस और बाकी सारी चीजों का विस्तार होगा, उन सब पर हमें राय लेनी पड़ती है। सभापति जी, अभी मैं समझता हूं कि जब तक उस पर आम तौर पर सहमति न बन जाए तब तक उन को खोलना और चलाना भी कठिन है।

श्री सैफुद्दीन सोज़: चेयरमैन साहब, डा॰ मुरली मनोहर जोशी जी ने काफी अच्छा काम किया है तालीम के सेक्टर में और ऐसा नहीं है कि जब मिनिस्टर अच्छा काम करे तो हम लाजमन आपोजीशन में उनका विरोध ही करते रहें। मसलन उन्होंने मदरसे के सेक्टर में कम्प्यूटर लाए और मॉडर्नाइजेशन की कोशिश की जो इंदिरा गांधी के जमाने से शुरु हुआ था। उस बारे में मैं यह कहता हूं कि अच्छा काम हुआ है, लेकिन इस मामले में मिनिस्टर साहब ने बहुत सारी शायरी बताई है, सीधा जवाब नहीं बताया है। कॉमर्सियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की वजह से जिस जनता को तकलीफ है, आपके पास यह जानने का क्राइटेरिया क्या है। आपने न क्राइटेरिया बताया है, न मैकेनिज्म बताया है। चेयरमैन साहब ने भी बीच में यह सवाल उठाया था कि आपके पास क्राइटेरिया क्या है जिससे कि आप ऐसे अदारों को बंद करें और और लोगों को सजाएं दें? आप के पास मैकेनिज्म क्या है इसे पहचानने का क्योंकि आप का यू॰जी॰सी॰ बहुत दबा हुआ है। It is a bureaucratic institution. Maybe, you have done some reform. I know that UGC is working. I cannot accept that the UGC will have an eye on what goes wrong in our country. आप क्राइटेरिया बताइए और मैकेनिज्म बताइए कि इस मर्ज को कैसे दूर करेंगे?

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: सभापति जी, मैंने पहले भी निवेदन किया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में जो अभी तक व्यवस्था है, वह बहुत लचर है। हम उसको पुख्ता कर रहे हैं। उस के संविधान में संशोधन लाने की हमारी प्रक्रिया हो रही है और इसी सत्र में हमारी पूरी कोशिश है कि विधान में वह संशोधन आपके सामने पेश कर दिया जाए। दूसरी बात यह है कि जब भी कोई ऐसी चीज पकड़ में आती है, उस पर हम हर तरह से कार्यवाही करते हैं। जो हमारे कानून हैं, उनकी तरफ से और जो आई॰पी॰सी॰ के कानून हैं, उनकी तरफ से भी कार्यवाही करते हैं। हमारे देश में जो फर्जी विश्वविद्यालय इस देश के लोग चलाते हैं, उसकी जानकारी हमें दो ही तरह से मिलती है या तो जब हमारे लोग विश्वविद्यालयों की पहचान करने जाते हैं तब या एक्रेडिटेशन किया जा रहा है तब, कि यहां क्या हो रहा है या फिर कोई हमें सूचना देता है तब, और तीसरे जब कोई सम्माननीय संसद सदस्य के नोटिस में कोई ऐसी चीज आती है और वह हमें बताते हैं। चौथी चीज यू॰जी॰सी॰ का एक सेल है जो इस बारे में निगाह रखता है कि कहां-कहां विश्वविद्यालय चल रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या

नहीं हो रहा है, उसके मार्फत सूचना आती है। तो तरह-तरह से सूचनाएं आती हैं, लेकिन अगर आप कहें कि कोई इंटेलिजेंस एजेंसी हमारे पास है तो वह तो नहीं है, लेकिन बाकी सारे मैकेनिज्म जो वैधानिक हैं वह हमारे पास हैं।

श्री सभापति: माननीय मंत्री जी, एक जवाब दें कि इन फर्जी यूनिवर्सिटीज के जो डिग्री होल्डर्स हैं, उन डिग्रीज की क्या स्थिति है?

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: उनकी स्थिति क्या है कि वे अमान्य हैं।

श्री सभापति: अगर अमान्य हैं तो यह बहुत सीरियस मैटर है। इसलिए ये फर्जी विश्वविद्यालय जितनी जल्दी बंद हों उतना ठीक है। बाकी विद्यार्थियों का पैसा खर्च होता है, मां-बाप का पैसा खर्च होता है और बाद में आप कह दें कि डिग्री अमान्य है तो यह ठीक नहीं है। इसलिए इसमें देरी नहीं होनी चाहिए।

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: सर, इसमें हमारी तरफ से कोई देरी नहीं है।

श्री सभापति: आपकी तरफ से नहीं है, लेकिन जनहित में आप ऐसे विश्वविद्यालयों को बंद करिए।

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: सर, इसमें सम्माननीय न्यायालय में कुछ प्रकरण गए हैं।

श्री सभापति: माननीय न्यायालय की बात तो मैं नहीं करता, लेकिन ...(**व्यवधान**)

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: सर, जो उनके पास पड़े हैं, उसमें हम क्या कर सकते हैं? बाकी तो हमने बंद कर दिए हैं।

श्री सभापति: आप कम से कम यह पब्लिकली कह चुके हैं कि फर्जी विश्वविद्यालयों से जो डिग्री प्राप्त हैं, उनको मान्यता नहीं मिलेगी?

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: सर, यह तो हम बार बार कह चुके हैं, बारम्बार इसका प्रसार कर रहे हैं कि यह जो फर्जी विश्वविद्यालय हैं इनकी डिग्री की कोई कानूनी वैधता नहीं है। हम यह बार-बार कहते हैं, हर साल कहते हैं और इस बार फिर कहेंगे।

श्री सभापति: ठीक है।

Environmental education

*64. SHRI H.K. JAVARE GOWDA: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state: